पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 ई0 (अग्रहायण 20, 1926 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002

अधिसूचना

आयोग द्वारा दिनांक 21.11.2002 को अंगीकृत।

1824/Nau-3-Urja/2002--उत्तरॉचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एद्तद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

अध्याय–1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन :**

(1) यह विनियम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 कही जायेगी।

(2) यह विनियम अंगीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी और तद्दिनांक से आयोग के समक्ष लम्बित सभी याचिकाओं पर लागू होगी।

(3) इस विनियम का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य होगा।[1]

(4) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) इस विनियम के निर्वचन पर लागू होगा।

[1]यह विनियम दिनांक 04.01.2003 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

अध्याय–2

2. परिभाषायें :

जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उत्तरांचल विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 या उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2002 में परिभाषित है।

3. आवेदनों या याचिकाओं पर फीस :

(1) आयोग को दी गई प्रत्येक याचिका, आवेदन या शिकायत इस विनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उचित फीस के भुगतान के साथ की जायेगी।

(2) इस विनियम के अधीन देय फीस का भुगतान सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में आहरित और देहरादून में देय एकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर या आयोग के बैंक खाते में सीधे नकद जमा किया जायेगा।

(3) इस विनियम के अधीन प्राप्त की गयी फीस को आयोग के सचिव द्वारा, बैंक में और ऐसी शाखाओं में, जिन्हें आयोग समय–समय पर निदेशित करे, आयोग द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले बैंक खाते में, जमा किया जाएगा।

4. लाईसेंस पर देय फीस :

(1) पारेषण के कार्य या विद्युत के प्रदाय जिसके अन्तर्गत विद्युत का थोक प्रदाय भी है, को करने के लिए लाईसेंस या छूट या किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार देने वाले किसी अन्य आदेश को देते हुए आयोग लाईसेंस या विशेषाधिकार देने के समय देय फीस विनिर्दिष्ट कर सकता है और तत्पश्चात् वार्षिक या ऐसे आवधिक आधार पर, जैसा आयोग लाइसेंस या विशेषाधिकार देने वाले आदेश में या पृथक आदेश में जिसे आयोग द्वारा पारित किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(2) विद्यमान लाइसेंसधारी या छूट धारक वित्तीय वर्ष 2002–2003 और तत्पश्चात् के लिए अनुसूची में यथानिर्दिष्ट वार्षिक फीस का भुगतान करेगा तथा किसी प्रारम्भिक फीस के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2003–04 से वार्षिक फीस का भुगतान 10 अप्रैल तक प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(4) वार्षिक फीस का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो कि 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह देय होगा।

(5) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, लाइसेंस या छूट देने के लिए देय फीस इस विनियम की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(6) फीस का भुगतान किया जायेगा और धनराशि को विनियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट रीति से जमा किया जायेगा।

(7) लाईसेंसी, दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में ए0आर0आर0 के अन्तर्गत, आयोग को भुगतान की गयी फीस को सम्मिलित करने का अधिकारी होगा, लेकिन उक्त धारा 4 के अन्तर्गत देय ब्याज को लेखों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. जुर्माना और प्रभार :

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकुलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग उक्त अधिनियम के अधीन दिये गये आदेशों या निदेश के अननुपालन की स्थिति में और अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या विनियम के अधीन आयोग द्वारा जारी किसी निदेश के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 28 में यथा उपबन्धित जुर्माना और/या प्रभार आरोपित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

(2) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2002 के कार्यवाहियों पर प्रयोज्य उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित जुर्माना और/या प्रभारों को आरोपित करने के लिए कार्यवाही पर भी प्रभावी होंगे।

(3) आरोपित किये जाने वाले जुर्माने और/या प्रभारों की मात्रा या सीमा का निर्धारण करते हुए आयोग अन्य सुसंगत बातों के साथ–साथ निम्नलिखित पर विचार करेगा :–

(ए) अननुपालन या उल्लंघन की प्रकृति और सीमा;

(बी) अननुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त सदोष अधिलाभ या नाबाजिव फायदे की धनराशि;

(सी) अननुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हुई हानि या हतोत्साहन की मात्रा; और

(डी) अननुपालन या उल्लंघन की पुनरावृत्ति प्रकृति।

(4) आयोग द्वारा आरोपित जुर्माने या प्रभारों का, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय, आयोग को जुर्माने या प्रभार आरोपण के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर भुगतान किया जायेगा।

(5) जुर्माने और प्रभार देय होंगे और उनकी धनराशि विनियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जायगी।

6. धनराशि का उपयोग :

आयोग बैंक में जमा धनराशि का अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उपभोग करने का हकदार होगा। किसी वित्तीय वर्ष में अनुपयोजित धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में उपभोग करने का अधिकार होगा।

7. विनियम का संशोधन :

आयोग अपने द्वारा किये जाने वाले किसी आदेश से इस विनियम की अनुसूची से यथा उपबन्धित देय फीस की धनराशि में समय–समय पर परिवर्धन, बदलाव, संशोधन या सुधार कर सकता है।

8. कारबार का संचालन विनियम, 2002 :

अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2002 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस विनियम, पर लागू होंगे।

अनुसूची

(विनियम (3) देखिये)

क्रम संख्या	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रुपयों में)
1	2	3
भाग—क		
1.	साधन प्रयोक्ता/उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता के कार्य के विरूद्ध शिकायत	शून्य
2.	प्रकीर्ण आवेदन अर्थात् आवेदन जो किसी अन्य सूचीबद्ध श्रेणी में न आते हों	रु0 25.00 (पच्चीस रुपये)
3.	किसी आदेश के पुर्नावलोकन या पुनःविचार के लिए आवेदन जो अन्य कही इंगित नहीं है, या किसी लिपिकीय त्रुटि या गलती के कारण आदेश का पुनविलोकन	रु0 100.00 (सौ रुपये)
4.	आयोग के आदेश/अभिलेख देखने के लिए आवेदन	रु0 100.00 (सौ रुपये)
5.	जनोपयोगी सेवा में विनियोजन के अनुमोदन के लिए याचिका/आवेदन	रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रुपये)
6.	जनोपयोगी सेवा में विनियोजन की याचिका/आवेदन पर किये गये आदेश के पुनविलोकन के लिए याचिका/आवेदन	रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये)

1	2	3
7.	लाइसेंसधारियों और उपयोगिताओं के मध्य विवादों और मतान्तरों को स्वीकार करने और न्याय निर्णय करने के लिए आवेदन एवं तत्सम्बन्धी पुनवलोकन याचिका/आवेदन	अन्तर्ग्रस्त कार्य की सीमा पर विचा करते हुए अलग–अलग मामले के आध पर निर्धारित की जायेगी
भाग–ख		
1.	वितरण/आपूर्ति लाईसेंस के आवेदन की प्रक्रिया के लिये देय फीस	रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) जो लाइसेंस स्वीकृत होने पर देय फी में समायोजित की जायेगी।
2.	पारेषण लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया के लिये देय फीस	रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) जो लाइसेंस स्वीकृत होने पर देय फी में समायोजित की जायेगी।
3.	वितरण लाइसेंस की स्वीकृति पर देय फीस	लाइसेंसधारी के प्रदाय क्षेत्र में प्र वित्तीय वर्ष के दौरान बिल में अ धनराशि का 0.05 प्रतिशत लाईसेंस स्वीकृत होने पर और इसी गणना लाइसेंस की विधिमान्यता के दौर वार्षिक रूप से प्रत्येक पश्चात्वर्ती व में।
4.	पारेषण एवं थोक आपूर्ति लाइसेंस की स्वीकृति पर देय फीस	500 रुपये प्रति लाख यूनिट विद्यु या उसके भाग क्रय पर या आपूर्ति प्रसारित या किसी अन्य प्रकार से वह करने पर लाइसेंस स्वीकृत होने प और इसी गणना से लाइसेंस व विधिमान्यता के दौरान वार्षिक रूप प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में।
5.	पारेषण/आपूर्ति लाइसेंस की याचिका/आवेदन पर किये गये आदेश के पुनवलोकन की याचिका/आवेदन पर देय फीस	रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये)
6.	लाइसेंस की छूट की स्वीकृति के लिए देय फीस एवं लाइसेंस की छूट की याचिका/आवेदन की प्रक्रिया पर देय फीस एवं लाईसेंस की छूट के पुनर्विलोकन की याचिका/आवेदन पर देय फीस।	छूट की स्वीकृति के समय अलग अलग मामले के आधार पर याचिका आवेदन के समय अथवा अन्य उचि समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वा फीस
भाग–ग		
1.	टैरिफ व्यवस्था के लिए याचिका/आवेदन, इसके अन्तर्गत किसी निर्धारित या प्रचलित टैरिफ के उपान्तर या परिवर्तन का आवेदन	रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये)
2.	टैरिफ याचिका/आवेदन पर किये गये आदेश के पुनवलोकन के लिए याचिका/आवेदन पर देय फीस	रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये)
3.	ऊर्जा क्रय या खरीद व्यवस्था के अनुमोदन के लिए याचिका/आवेदन	

1	2	3
	a) परम्परागत उत्पादक इकाई	10 लाख रूपये 100 मेगावाट की क्षमता तक, रू0 10,000.00 (दस हजार) प्रति अतिरिक्त मेगावाट या उसका कोई भाग।
	b) लघु गैर परम्परागत उत्पादक इकाई	1) रू0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) 10 मे0वा0 तक की क्षमता तक तथा रू0 5,00,000.00 (पॉच लाख रुपये) 10 मे0वा0 से अधिक क्षमता वाले।
4.	ऊर्जा क्रय या खरीद व्यवस्था की याचिका/आवेदन पर किये गये आदेशों के पुनवलोकन याचिका /आवेदन पर देय फीस	रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये)